न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 124 / 2018 **दायरा दिनांक :06.08.2018**

उनवान

1— रामबाबू पुत्र रतनलाल, जाति राठौड, निवासी ग्राम सूलिया, तहसील भवानीमण्डी, जिला झालावाड़

2— पिंकेश पुत्र रतनलाल, जाति राठौड, निवासी ग्राम सूलिया, तहसील भवानीमण्डी, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— भंवरलाल आत्मज भैरू लाल जी, जाति राठौड, निवासी ग्राम सूलिया, तहसील भवानीमण्डी, जिला झालावाड़ मृतक कायम मुकामान :—

1— चुन्नी लाल आत्मज भंवरलाल, जाति राठौड, निवासी ग्राम सूलिया, तहसील भवानीमण्डी, जिला झालावाड़

2— रतन लाल आत्मज भंवरलाल, जाति राठौड, निवासी ग्राम सूलिया, तहसील भवानीमण्डी, जिला झालावाड़

3— शांति बाई पुत्री भंवरलाल, जाति राठौड, निवासी ग्राम खैराबाद, तहसील भवानीमण्डी, जिला झालावाड़

4— कमला बाई पुत्री भंवरलाल, जाति राठौड, निवासी ग्राम बोलिया बुर्जुग, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

5— कान्ति बाई पुत्री भंवरलाल, जाति राठौड, निवासी ढाबली, तहसील भवानीमण्डी, जिला झालावाड़

6— सोरम बाई पुत्री भंवरलाल, जाति राठौड, निवासी बोरखेडी, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 140/2018 **दायरा दिनांक : 10.09.2018**

उनवान

रतन लाल आत्मज भंवरलाल, जाति राठौड, निवासी ग्राम सूलिया, तहसील भवानीमण्डी, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– चुन्नी लाल आत्मज भंवरलाल, जाति राठौड, निवासी ग्राम सूलिया, तहसील भवानीमण्डी, जिला झालावाड़

2– शांति बाई पुत्री भंवरलाल, जाति राठौड, निवासी ग्राम खैराबाद, तहसील भवानीमण्डी, जिला झालावाड़

3– कमला बाई पुत्री भंवरलाल, जाति राठौड, निवासी ग्राम बोलिया बुर्जुग, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

4– कान्ति बाई पुत्री भंवरलाल, जाति राठौड, निवासी ढाबली, तहसील भवानीमण्डी, जिला झालावाड़

5– सोरम बाई पुत्री भंवरलाल, जाति राठौड, निवासी बोरखेडी, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

..... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री अजय श्रृंगी एवं श्री उत्पल शर्मा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री मोहम्मद इकबाल पठान, श्री रमेश राठौर एवं श्री धीरेन्द्र धाकड़ अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 06.12.2019**

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या – 11/दावा/2018 निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट क्रम 1 ने अपीलांट के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 83 एवं 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया जिसका उनवान चुन्नीलाल बनाम भंवरलाल प्रस्तुत किया था एक अन्य वाद जिसमें पक्षकार समान थे प्रस्तुत किया था जो दिनांक 29.04.2010 को डिक्री हो गया था, जिसकी अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की थी, जिसे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकार द्वारा अपील संख्या 136/2010 एवं 137/2010 पर दर्ज करते हुए प्रकरण को दिनांक 18.06.2010 को निर्णीत करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को अपास्त करते हुए इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि दोनों दावों का सम्मिलित कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए राजस्व लोक अदालत केम्प सूलिया में निर्णय व डिक्री जैर अपील दिनांक 29.06.2018 पारित कर दिया, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपीले प्रस्तुत की गई हैं ।

अपील संख्या 124/2018 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय एवं डिक्री न्याय संचिका में उपलब्ध सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने भूमि खसरा नम्बर 1211 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम सूलिया, तहसील पचपहाड़ को पुश्तैनी आराजी मानने की भूल की है जबकि वादग्रस्त आराजी दिनांक

12.07.1972 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा मूल खातेदार देवी सिंह पुत्र भंवर लाल से अपीलांट के दादा भंवरलाल पुत्र भैरूलाल द्वारा खरीद की थी जिसे रहन बेचान विक्रय दान वसीयत इत्यादि करने का पूर्ण अधिकार भंवरलाल को था तथा भंवरलाल द्वारा अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए दिनांक 25.02.2013 को दान कर दिया था तथा उक्त दान पत्र के आधार पर अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त है, जिसे नजर अन्दाज करके अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजर अन्दाज किया कि जब पत्रावली माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा जब वाद को पुनः सुनवायी हेतु रिमाण्ड किया था कि निर्णय दिया जावे, जबकि अधीनस्थ न्यायालय को सम्पूर्ण निर्णय तनकीवार किया जाना चाहिए था तथा योग्य न्यायालय द्वारा बिना तनकीवार एवं बिना साक्ष्य की विवेचना किये निर्णय पारित किया है, जबकि सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार साक्ष्य एवं तनकी विवेचित किये बिना निर्णय एवं डिक्री पारित नहीं किया जा सकता । सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 14 की पालना के बिना दिया गया निर्णय शून्य होने के कारण एनफोरसवल नहीं है इस कारण से निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर आर्बीट्रेटरी रूप से निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय में जो पक्षकार वादी एवं प्रतिवादी के रूप में संयोजित थे उन्हें रजिस्टर्ड दान जो कि अपीलांट के पक्ष में किया गया है कि जानकारी थी, फिर भी उन्हें पक्षकार नहीं बनाकर कुसंयोजन किया है इस कारण निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2018 अपास्त की जाये ।

अपील संख्या 140/2018 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय एवं डिक्री जैर अपील पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य एवं कानून के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने वाद क्रमांक 80/2005 में तीन तनकीयात कायम की थी तथा सी पी

सी के प्रावधानों के अनुसार निर्णय व डिक्री पारित करते समय समस्त तनकीयों का विवेचन करते हुए निर्णीत किया जाना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 19.06.2018 वास्ते कायम मुकामान प्रतिवादी क्रम 1 का पेश किया जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया जबकि मृतक के विधिक वारिस को रेकार्ड पर नहीं लिया गया ऐसा न कर अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जिसमें कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त कर दिया था दोनों वादों को समेकित करने के आदेश दिये थे तथा उक्त दोनों वादों में तनकीयात अलग अलग थी, किन्तु विधि की तनकी नहीं बनी थी मात्र तथ्य की तनकी कायम हुए थी जबकि अधीनस्थ न्यायालय को एक तथ्य की तनकी का निर्माण किया जाना अत्यन्त आवश्यक था जिसमें की वाद का अंतिम निस्तारण हो सकता था, उक्त विधि की तनकी यह विरचित की जानी चाहिए थी :– **''आया कि वादी द्वारा प्रतिवादी क्रम 2 से भूमि का क्रय किया है, उस पर वादी का कब्जा नहीं है तथा कब्जा नहीं हो तो उस बेचान का क्या असर है ।'' ...प्रतिवादी क्रम 2** उक्त तनकी विधि की तनकी थी जिसे न्यायालय द्वारा वाद को समेकित करने के उपरान्त बनाया जाना चाहिए था, जिस पर पुनः साक्ष्य लेकर निर्णय व डिक्री पारित की जानी चाहिए थी, अपीलीय न्यायालय की अवहेलना की है जो काबिले निरस्तनीय है । विधि एवंत थ्य का मिश्रित प्रश्न हो वहा यह सुस्थापित सिद्धांत है कि उस तथ्य एवं विधि के प्रश्न का निर्णारण किये बिना कोई निर्णय एवं डिक्री पारित नहीं की जा सकती है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा ना कर मात्र आर्बीट्रेटरी रूप से निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2018 अपास्त किया जाये ।

अपील संख्या 140/2018 के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी होने पर नकल दिनांक 11.07.2018

को आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 16.07.2018 को प्रार्थी का नकल मिली किन्तु प्रार्थी का स्वास्थ्य खराब होने से अपील पेश करने में हुए विलम्ब का शमन किया जाये ।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर अपील संख्या 140/2018 सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेंट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपील संख्या 140/2018 न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्यों के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है, विक्रय पत्र व दान पत्र की विवेचना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत की गई है, जिसमें हम कोई हस्तक्षेप उचित नही समझते है । अपीलांट अपील में भी तथ्य प्रमाणित करने में विफल रहा है । अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले अपील संख्या 124/2018 एवं 140/2018 अपीलांट अस्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.06.2018 यथावत रखे जाते हैं ।

निर्णय आज दिनांक 06.12.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा